न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –59/2005 जिला दौसा

मोहन सिंह उर्फ मनोहर सिंह पुत्र श्री रावत सिंह, जाति राजपूत, निवासी गूगोलाव, तहसील दौसा, हाल आबाद जयपुर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. कुबेर सिंह पुत्र श्री रावत सिंह , जाति राजपूत, निवासी गूगोलाव, तहसील व जिला दौसा, हाल आबाद सी–120 राम मार्ग, श्याम नगर, अजमेर रोड, जयपुर (राज.)
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा दौसा जरिए शाखा प्रबन्धक
3. नरपत सिंह पुत्र श्री रावत सिंह, जाति राजपूत, निवासी गूगोलाव, तहसील व जिला दौसा, हाल आबाद सी–80 राममार्ग, सिंह भूमि , खातीपुरा, जयपुर (राज.)
4. प्रहलाद सिंह पुत्र श्री रावत सिंह जाति राजपूत, निवासी गूगोलाव, तहसील व जिला दौसा, हाल आबाद कारवां ट्यूरिस्ट बिसाउ पैलेस सरोज सिनेमा के पास, चांदपोल के बाहर जयपुर (राज.)
5. पूरण सिंह पुत्र श्री रावत सिंह जाति राजपूत, निवासी गूगोलाव, तहसील व जिला दौसा, हाल आबाद मारबल्स कमल एण्ड कम्पनी के पास, टोंक रोड, जयपुर (राज.)
6. गोविन्द सिंह पुत्र रावत सिंह जाति राजपूत, निवासी गूगोलाव, तहसील व जिला दौसा, हाल आबाद बी–43 मान नगर क्वीन्स रोड, जयपुर (राज.)

मृतक–

6/1 श्रीमति इन्द्रा कंवर बेवा गोविन्द सिंह

6/2 श्री मयूर सिंह

6/3 श्री ध्वाज सिंह

पुत्रान गोविन्द सिंह, समस्त जाति राजपूत, निवासी– 120 राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 26.7.2004

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राकेश शेखावत

निर्णय

दिनांक–6.11.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 26.7.2004 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम रामपुरा खुर्द, तहसील व जिला दौसा की जमाबन्दी संवत 2056 से 2059 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 77, 78, 79, 80, 81 कुल किता 5 कुल रकबा 11.15 हैक्टेयर के खातेदार रेस्पोंडेन्ट कुबेर सिंह , नरपत सिंह,

प्रहलाद सिंह, गोविन्द सिंह, पूरन सिंह, मोहन सिंह पि. रावत सिह कौम राजपूत सा. गूगोलाव थे । कुबेर सिंह बनाम नरपत सिंह उनवानी वाद में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने निर्णय/डिक्री दिनांक 14.12.76 पारित कर ग्रम रामपुरा खुर्द स्थित ख. नं. 16 के लगायत व 1/23 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार वादी कुबेरसिंह को व ग्रम गूगोलाव स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 85 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार वादी व प्रतिवादी नं. 1 से 5 को घोषित किया है ।

उक्त निर्णय/डिक्री एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.9.1978 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा ग्रम रामपुरा खुर्द स्थित आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 19 कुबेर सिंह, नरपत सिंह, गोविन्द सिंह, पूरन सिंह, मनोहर सिंह पि. रावत सिंह के स्थान पर कुबेर सिंह पुत्र रावत सिंह के नाम दिनांक 8.6.79 को भरा गया जिसे तहसीलदार दौसा ने दिनांक 11.6.79 को स्वीकार किया है।

उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 14.12.76 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.9.2978 की अनुपालना में ही पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.5.98 को ग्रम रामपुरा खुर्द स्थिति खसरा नम्बर 77, 78, 79, 80, 81 कुल किता 5 कुल रकबा 11.15 हैक्टेयर का नामांतरकरण संख्या 24 खातेदार कुबेर सिंह, नरपत सिंह, प्रहलाद सिंह, गोविन्द सिंह , पूरण सिंह, मोहन सिंह पि. रावत सिंह के स्थान पर कुबेर सिंह पुत्र रावत सिंह के नाम भरा गया । उक्त नामांतरकरण की पुश्त पर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 28.5.99 को अंकित किया कि " प्रकरण 1976 का है, जिसकी फोटो प्रति पठनीय नहीं है, इतने अन्तराल के बाद न्यायिक प्रकरण में क्या कार्यवाही हुयी इसकी स्थिति सुलभ प्राप्त नहीं है । शिविर में भी प्रकरण में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है । प्रार्थी ग्रम में निवास नहीं करता है । रिपोर्ट गिरदावर भी स्पष्ट है । अतः नामांतरकरण तथ्यों के अभाव में खारिज किया जाता है "।

इसके पश्चात् ग्रम रामपुरा खुर्द स्थिति खसरा नम्बर 77, 78, 79, 80, 81 कुल किता 5 कुल रकबा 11.15 हैक्टेयर के खातेदारों में से खातेदार मोहन सिंह पुत्र रावत सिंह के 1/6 हिस्से की भूमि के रहन का नामांतरकरण संख्या 56 पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड रहन पत्र के आधार पर मोहन सिंह पुत्र रावत सिंह हिस्सा 1/6 शेष इन्द्राज बदस्तूर मुताबिक जमाबन्दी के स्थान पर मोहन सिंह पुत्र रावत सिंह हिस्सा 1/6 राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा दौसा मूर्तहीन शेष इन्द्राज बदस्तूर मुताबिक जमाबन्दी भरा गया जिसकी पुश्त पर नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 28.6.2002 को आदेश अंकित किया कि " नामांतरकरण आज मिटिंग में पेश हुआ रिकार्ड का अवलोकन किया गया । भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अंकित रिपोर्ट पर गौर किया गया, परन्तु जमाबन्दी में उक्त खाते में अंकित नोट दिनांक 3.5.2002 बिना किसी नामांतरकरण के किया गया है जबकि राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 120 के अनुसार जमाबन्दी में जरिए नामांतरकरण ही नोट अंकित हो सकता है । अतः उक्त जमाबन्दी के खाता संख्या 4 पर अंकित नोट दिनांक 3.5.2002 प्रभावहीन है । लिहाजा मुताबिक रहन पत्र नामांतरकरण स्वीकार किया जाता है तथा भू. अभि.नि./पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि बिना किसी नामांतरकरण के अंकित नोट को जमाबन्दी से निरस्त कराये जाने हेतु प्रकरण का रेफरेन्स तैयार कर प्रस्तुत करें "।

नायब तहसीलदार दौसा के नामांतरकरण संख्या 56 की पुश्त पर दिनांक 28.6.2002 को अंकित आदेश से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट कुबेर सिंह पुत्र रावत सिंह द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 4.2. 2004 को मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत की , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.7.2004 द्वारा यह माना कि एक बार स्वीकृत नामांतरकरण को नायब तहसीलदार द्वारा स्वतः न तो बाद में अस्वीकृत किया जा सकता है और न ही इस प्रकार के नामांतरकरण को प्रभावहीन किये जाने का आदेश दिया जा सकता है । यदि इस प्रकार के आदेश नायब तहसीलदार द्वारा दिये जाते हैं तो वे गैर कानूनी होने के कारण स्वयं ही निष्प्रभावी (प्रारम्भतः शून्य) है । अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का नामांतरकरण संख्या 56 दिनांक 28.6.2002 निरस्त किया गया । इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 24 दिनांक 28.5.99 जो कि पूर्व में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 11.6.79 होने के बावजूद जारी किया गया, यह आदेश दिनांक 28.5.99 भी स्वतः ही प्रारम्भतः शून्य माना । संबंधित पक्ष/ नायब तहसीलदार यदि चाहे तो नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 11.6.99 की अपील नियमानुसार सक्षम न्यायालय में करें, किन्तु उपरोक्तानुसार नामांतरकरण आदेश संख्या 24 दिनांक 28.5.99 स्वतः ही प्रभावहीन है एवं नामांतरकरण आदेश संख्या 56 दिनांक 28.6.2002 उक्तानुसार अवैध होने के कारण जमाबन्दी सम्वत 2056–59 में लगाया गया नोट "नामां. सं. 56 दिनांक 28.6.2002 के अनुसार अंकित नोट दिनांक 3.5.2002 प्रभावहीन है । अतः मोहन सिंह पुत्र रावत सिंह हि. 1/6 भारतीय स्टेट बैंक शाखा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई" को प्रभावशून्य घोषित किया गया ।

चित्रा

जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 26.7.2004 से व्यथित होकर अपीलान्ट मोहन सिंह पुत्र रावत सिंह द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 26.7.2004 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कुबेर सिंह के नाम दिनांक 11.6.79 को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय व डिक्री के संदर्भ में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 19 अनाधिकृत व प्रभाव शून्य है क्योंकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार से मिल कर गुप्त रूप से यह नामांतरकरण तस्दीक करवाया है । नामांतरकरण में अंकित भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट 1 व 3 लगायत 6 के पिता स्व. रावत सिंह की खातेदारी की भूमि है जिसमें रावत सिंह के 6 पुत्रों व एक पुत्री राजन कंवर का समान हिस्सा है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कुबेर सिंह ने न्यायालय में निराधार वाद प्रस्तुत कर अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट 5 व 6 की अल्प व्ययस्कता में अवैध रूप से निर्णय/डिक्री पारित करवाई है, जिसके आधार पर तस्दीक नामांतरकरण निष्प्रभावी है । नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 11.6.79 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 3.5.2002 को 23 वर्ष बाद राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में परिवर्तन का नोट अंकित किया जाना सर्वथा अनियमित, अनाधिकृत एवं प्रभाव शुन्य है जिसे

विधिमान्य करार देकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है । उप खण्ड अधिकारी के निर्णय/डिक्री की अनुपालना में भरे गये नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 11.6.79 के बाद निर्णय/डिक्री की अनुपालना में ही भरे गये नामांतरकरण संख्या 24 दिनांक 28.5.99 को तहसीलदार दौसा ने निरस्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से नामांतरकरण संख्या 24 दिनांक 28.5.99 को निष्प्रभावी माना है । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा दौसा से ऋण प्राप्त किया था एवं रहन के आधार पर नामांतरकरण संख्या 56 दिनांक 28.6.2002 को नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि पक्षकारान में विवादित आराजी के संबंध में वाद विचाराधीन है जिनमें अस्थाई निरषेधाज्ञा भी प्रचलित है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं विचाराधीन वाद एवं प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 903 एवं आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 552 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट के हिस्से की भूमि के रहन बाबत प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 56 दिनांक 28.6.2002 को तस्दीक करने के दौरान नायब तहसीलदार ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के निर्णय/डिक्री की अनुपालना में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 19 के आधार पर जमाबन्दी में की गई प्रविष्ठि दिनांक 3.5.2002 को निष्प्रभावी घोषित किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 11.6.79 को तस्दीक हो चुका था यदि यह नामांतरकरण गलत था तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत हितबद्ध व्यक्ति सक्षम न्यायालय में अपील कर नामांतरकरण निरस्त करवा सकता था, लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा बिना कोई अपील प्रस्तुत हुये नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 1.6.79 को प्रभावहीन कर दिया । एक बार स्वीकृत नामांतरकरण को नायब तहसीलदार द्वारा न तो अस्वीकृत किया जा सकता है और ना ही इस प्रकार के नामांतरकरण को प्रभावहीन किया जा सकता है । नामांतरकरण संख्या 19 को प्रस्तुत अपील में भी चुनौती नहीं दिये जाने से नामांतरकरण आज भी प्रभावी है । उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद के निर्णय के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा सिविल रिट याचिका प्रस्तुत कर रखी है जिसमें विवादित भूमि के संबंध में अधिकारों का निर्धारण होना है । अपीलान्ट द्वारा एक वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष पेश कर रखा है । माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यदि किसी भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में राजस्व वाद विचारारधीन हो तो नामांतरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग को वाद के निर्णय तक स्थगित रखना चाहिये ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेबाजी न बढे । उनका कहना था रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उप खण्ड अधिकारी के निर्णय / डिक्री के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल

द्वारा निर्णय/डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया है । राजस्व मण्डल के निर्णय को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है । उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवादित भूमि में से अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि के रहन बाबत भरे गये नामांतरकरण संख्या 56 को नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.6.2002 को स्वीकार करने के साथ ही जमाबन्दी में अंकित नोट दिनांक 3.5.2002 बिना किसी नामांतरकरण के किये जाने से प्रभावहीन माना है तथा भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी को निर्देशित किया है कि बिना किसी नामांतरकरण के अंकित नोट को जमाबन्दी से निरस्त कराये जाने हेतु प्रकरण का रेफरेन्स तैयार कर प्रस्तुत करें । चूंकि जमाबन्दी में दिनांक 3.5.2002 को अंकित नोट उप खण्ड अधिकारी के निर्णय/डिक्री के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 11.6.79 के अनुसार पटवारी द्वारा अंकित किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 56 दिनांक 28.6.2002 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील के निर्णय दिनांक 26.7.2004 में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने यह माना कि एक बार स्वीकृत नामांतरकरण को नायब तहसीलदार द्वारा स्वतः न तो बाद में अस्वीकृत किया जा सकता है और न ही इस प्रकार के नामांतरकरण को प्रभावहीन किये जाने का आदेश दिया जा सकता है । यदि इस प्रकार के आदेश नायब तहसीलदार द्वारा दिये जाते हैं तो वे गैर कानूनी होने के कारण स्वयं ही निष्प्रभावी (प्रारम्भतः शून्य) है । अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का नामांतरकरण संख्या 56 दिनांक 28.6.2002 निरस्त किया गया । इसी प्रकार नामांतरकरण संख्या 24 दिनांक 28.5.99 जो कि पूर्व में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 11.6.79 होने के बावजूद जारी किया गया, यह आदेश दिनांक 28.5.99 भी स्वतः ही प्रारम्भतः शून्य माना । संबंधित पक्ष/ नायब तहसीलदार यदि चाहे तो नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 11.6.99 की अपील नियमानुसार सक्षम न्यायालय में करें, किन्तु उपरोक्तानुसार नामांतरकरण संख्या 24 दिनांक 28.5.99 स्वतः ही प्रभावहीन है एवं नामांतरकरण संख्या 56 दिनांक 28.6.2002 उक्तानुसार अवैध होने के कारण जमाबन्दी सम्वत 2056–59 में लगाया गया नोट "नामां. सं. 56 दिनांक 28.6.2002 के अनुसार अंकित नोट दिनांक 3.5.2002 प्रभावहीन है । अतः मोहन सिंह पुत्र रावत सिंह हि. 1/6 भारतीय स्टेट बैंक शाखा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई", को प्रभावशून्य घोषित किया गया । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.1976 के खिलाफ मनोहर सिंह की अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 23.12.2003 द्वारा गम्भीर रूप से 26–27 वर्ष मियाद बाहर होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज की जाकर उप जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 14.12.1976 यथावत रखा गया है तथा इस निर्णय के खिलाफ मनोहर सिंह की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 24.2.2009 द्वारा स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2003 एवं विचारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.1976 निरस्त किये जाकर प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दौसा को पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत होने वाली दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 24.2.2009 के खिलाफ कुबेर सिह द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 4417/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन होना बताया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि उप खण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 14.12.1976 के संबंध में प्रकरण में पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर होना है । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र सरसरी प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही नामांतरकरण तस्दीक होगा । ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य हक हकूकों के संबंध में अंतिम निर्णय होने से पूर्व प्रश्नगत नामांतरकरण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.7.2004 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर